



# HAPUR POLICE



## OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए महिला के साथ छेड़खानी करने के मामले एक आरोपी को **04 वर्ष का साधारण कारावास व 6,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।**

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 22.05.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले मे एक आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 15.12.2019 को अभियुक्त मनु शर्मा उर्फ यतेन्द्र शर्मा पुत्र प्रकाश शर्मा निवासी मौहल्ला प्रेमपुरा कस्बा व थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा वादी के साथ छेड़खानी कर जान से मारने की धमकी देने करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 810/2019 धारा 354, 506, 323, 376, 511 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 10.11.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।
- आज दिनांक 22.05.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम हापुड़ द्वारा 04 वर्ष का साधारण कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
- अभियोजन विभाग से श्रीमति करुणा राय (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री यशपाल गौतम, पैरोकार म0का0 अंजू व कोर्ट मोहरीर म0का0 अंजली का विशेष योगदान रहा ।

